

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

वेबसाईट : www. http://gmcbhopal.net

Phone Number – 0755 - 4050000

क्रमांक 9291-343 / एम.सी. / एन.एच.एम. (6) / 2022

भोपाल, दिनांक : 6 / 03 / 2022

// आदेश //

कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर. /सेल-01 / 2022 / 1548 भोपाल, दिनांक 02-03-2022 अनुसार कोविड-19 के अन्तर्गत प्रभावी प्रबंधन हेतु अस्थाई मानव संसाधन की स्वीकृति दिनांक 03-03-2022 से दिनांक 31-03-2022 तक प्रदान की गई है। जिसमें कार्यालय अधिष्ठाता के नोटिस पत्र क्रमांक 9080/अधि/एन.एच.एम./06/2022 भोपाल, दिनांक 04-03-2022 के अनुसार दिनांक 05-03-2022 को गेस्ट हाउस में गठित चयन समिति के द्वारा इन्टरव्यू कर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के संबद्ध अस्पतालों में कोविड-19 के अन्तर्गत प्रभावी प्रबंधन हेतु निम्नलिखित लैब सहायक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का चयन नियुक्ति दिनांक से 31-03-2022 तक निम्न सेवा शर्तों के अनुबंध के साथ किया जाता है।

1. लैब सहायक निश्चित मानदेय राशि रु. 7950/-।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	पदस्थापना स्थल
1	पंकज पटेल	श्री. रामदयाल पटेल	विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी
2	आरती परमार	श्री. बंशी लाल परमार	विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी
3	अंकित कुमार	श्री. बोनंदर सिंह	विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी
4	लोकेश कुमार	श्री. कुमेर सिंह	विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी
5	राजेन्द्र कुमार	श्री. सीता राम	विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी
6	गोपाल साहू	श्री. विष्णु प्रसाद साहू	विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी
7	राजेश रनिया	श्री. रामभरोश	विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी
8	संगीता रायकवार	श्री. किशोर कुमार रायकवार	विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी
9	दिपिका बारवे	श्री. नन्द किशोर बारवे	विभागाध्यक्ष, बायोकेमेस्ट्री विभाग
10	अनुराधा कुन्दरे	श्री. राम प्रसाद कुन्दरे	विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी

2. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (कलेक्टर रेट)।


क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	पदस्थापना स्थल
1	अफरोज जहाँ	श्री. अब्दुल बशीर	माइक्रोबायोलॉजी विभाग
2	नरेन्द्र प्रजापति	श्री. नाथूराम प्रजापति	अधीक्षक हमीदिया
3	फिरदोश जहाँ	श्री. अब्दुल बशीर	माइक्रोबायोलॉजी विभाग
4	नेहा तसलीम	श्री. तस्लीम उर रहमान	शाखा क्रमांक -05
5	गरिमा कराडे	श्री. एम. एल. कराडे	लेखा शाखा
6	उषा कुश्वाहा	श्री. शर्मा प्रसाद	अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय

7	नगमा तब्बसुम	श्री. राजा खान	एन.एच. एम. शाखा
8	सावित्री देवी रैदास	श्री. रामश्रय रैदास	माइक्रोबायोलॉजी विभाग
9	रिचा गुप्ता	श्री. मनोज कुमार गुप्ता	अधीक्षक, हमीदिया अस्पताल
10	सचिन साहू	श्री. मनमोहन साहू	माइक्रोबायोलॉजी विभाग
11	अभिषेक गिरी	श्री. विश्वकर्मा गिरी	वैक्सीनेशन सेन्टर
12	नम्रता बाथम	श्री. लीला किशन	विद्यार्थी शाखा
13	अरुण सिंह	श्री. कृष्ण देव सिंह	एन.एच.एम. शाखा
14	सारिका महाले	श्री. देवी दास महाले	माइक्रोबायोलॉजी विभाग
15	मोनिका कुंसारिया	श्री. रामस्वरूप कुंसारिया	छात्रवृत्ति शाखा
16	रेणूका सोलंकी	श्री. बाबूलाल सोलंकी	अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय
17	शशिकांत यशवंते	श्री. हीरालन यशवंते	एन.एच.एम. शाखा
18	सौरभ कुमार शर्मा	श्री. जगदीश बाबू शर्मा	विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी विभाग
19	मनोज अहिरवार	श्री. सुखलाल	डी.एम.ई.
20	सुनिता विश्वकर्मा	श्री. प्रेम नारायण	डी.एम.ई.
21	राजेन्द्र कुशवाह	श्री. गजेन्द्र सिंह कुशवाह	डी.एम.ई.
22	प्रशांत अहिरवार	श्री. दौलत राम	विभागाध्यक्ष, बायोकेमेस्ट्री विभाग
23	राकेश सिंह	श्री. यू. के. सिंह	डी.एम.ई.
24	पिंकी समुंद्रे	श्री. देवी प्रसाद	अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय
25	नीलम सिंह बरगाही	श्री. राम गोपाल सिंह	वैक्सीनेशन सेन्टर (कोविड-19)

सेवा शर्तें :-

1. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी अधिष्ठाता, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल है।
2. यह सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में नियुक्ति दिनांक से दिनांक 31-03-2022 तक के लिये ली जा रही है। अतः निर्धारित अवधि के पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। तत्पश्चात् बिना आदेश प्राप्त किये निरंतर कार्य पर बने रहने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी तरह के मानदेय के लिय प्राप्त नहीं होगा।
3. इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जायेगा।
4. अनुबंध निष्पादन करने वाला व्यय संबन्धित सेवा प्रदत्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
5. पत्र जारी होने के 02 दिवस में अनुबंध निष्पादन न करने एवं अधिष्ठाता कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर नियुक्ति किसी भी स्थिति में मान्य नहीं की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी अनुबंध कर्ता की होगी।
6. किसी भी तरह की असत्य जानकारी अनुशासनहीनता और कार्यस्थल की गोपनीयता भंग करने पर या अपराधिक गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही एवं अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।

7. कोविड-19 संक्रमण के प्रबंधन हेतु अतिरिक्त अस्थायी नियुक्ति को आदेशानुसार किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।



अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक 9291-343 / एम.सी. / एन.एच.एम. (6) / 2022

भोपाल, दिनांक : 6 / 03 / 2022

प्रतिलिपि एवं सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल म.प्र. ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा भोपाल, म.प्र. ।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल, म.प्र. ।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल, मध्यप्रदेश आपके सन्दर्भित पत्र के संदर्भ में।
6. संभागायुक्त, भोपाल संभाग भोपाल ।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल ।
8. अपर संचालक आई.डी.एस.पी. संचलानलय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल, म.प्र. ।
9. उप संचालक मानव संसाधन लीगल, एन.एच.एम. भोपाल, म.प्र. ।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल, म.प्र. ।
11. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष / माइक्रोबायोलॉजी / पैथोलॉजी / बायोकेमेस्ट्री, विभाग गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल ।
12. प्रभारी अधिकारी, विद्यार्थी, लेखा, स्थापना, छात्रवृत्ति शाखा, वैक्सीनेशन, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ।
13. संबंधित कर्मचारीकी ओर पालनार्थ ।
14. आदेश नस्ती ।


अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल